

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 43/18 वाद पत्र

उनवान

1-नाथू पिता मोती गुजर नि० मोखमपुरा तह० जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 01/06/2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प थला मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोखमपुरा की जमाबन्दी खाता नम्बर 160 मे मुझ वादी सहित अन्य सह खातेदार के हिस्से दर्ज नहीं है जबकि इसी ग्राम की जमाबन्दी संवत् 2057 से 2076 मे मूल रूप से तीन खातेदार क्रमशः हांसा, मांगु, हमीर के रूप मे दर्ज थे जिनकी फौतगी के पश्चात विरासत से पृथक-पृथक नामान्तरकरण दर्ज करते समय हिस्से दर्ज नहीं किये गये। अतः जमाबन्दी मे हिस्से दर्ज कराना फरमावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी उपस्थित है। प्रतिवादी के जवाब अनुसार ग्राम मोखमपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 160 मे खातेदारो के हिस्से अंकित नहीं होने से उनके हिस्सा अनुसार भोजा पिता हंसा 5/18 हगामी लाडु पुत्रिया हंसा 1/18 ऊंकार डालु नाथू गोपी नाराण पिता मोती 4/9 अमरा पिता हजारी अणछी पुत्री हजारी 1/9 छगु पत्नि डालु 1/18 नेनुड़ी पत्नि नेना 1/18 दर्ज किया जाना उचित हैं।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रायपुर के अनुसार ग्राम मोखमपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 160 मे खातेदारो के हिस्से अंकित नहीं होने से उनके हिस्सा अनुसार भोजा पिता हंसा 5/18 हगामी लाडु पुत्रिया हंसा 1/18 ऊंकार डालु नाथू गोपी नाराण पिता मोती 4/9 अमरा पिता हजारी अणछी पुत्री हजारी 1/9 छगु पत्नि डालु 1/18 नेनुड़ी पत्नि नेना 1/18 दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। अतः

## आदेश

ग्राम मोखमपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 160 मे खातेदारो के हिस्से अंकित नही होने से उनके हिस्सा अनुसार भोजा पिता हंसा 5/18 हगामी लाडु पुत्रिया हंसा 1/18 ऊंकार डालु नाथू गोपी नाराण पिता मोती 4/9 अमरा पिता हजारी अणछी पुत्री हजारी 1/9 छगु पत्नि डालु 1/18 नेनुड़ी पत्नि नेना 1/18 दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो।

राजलक्ष्मी गहलोत

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)**

पीटासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर:- 43/18 वाद पत्र

**उनवान**

1-नाथू पिता मोती गुजर नि० मोखमपुरा तह० जिला भीलवाडा


**बनाम**

1- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

**वादी**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मोखमपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 160 मे खातेदारो के हिस्से अंकित नही होने से उनके हिस्सा अनुसार भोजा पिता हंसा 5/18 हगामी लाडु पुत्रिया हंसा 1/18 ऊंकार डालु नाथू गोपी नाराण पिता मोती 4/9 अमरा पिता हजारी अणछी पुत्री हजारी 1/9 छगु पत्नि डालु 1/18 नेनुड़ी पत्नि नेना 1/18 दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो।


  
राजलक्ष्मी गहलोत

आर.ए.एस

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाडा

यह आज तारीक 01.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
राजलक्ष्मी गहलोत

आर.ए.एस

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाडा